वर्ष –2020
ऑनलाईन लोक अदालत

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर,जयपुर पीठ, जयपुर
(Phone: 0141-2227481, FAX: 2227602, Toll Free Help Line 15100/9928900900)
Email: rslsajp@gmail.com, rj-slsa@nic.in, website: www.rlsa.gov.in

संशोधित दिशा–निर्देश (Revised Guidelines)

ऑन लाईन लोक अदालत दिनांक 22 अगस्त, 2020

दिनांकः 27 जुलाई, 2020

कोरोना संक्रमण की वैश्विक महामारी के कारण जन सामान्य की गतिविधियां एवं विधिक व्यवस्था प्रभावित हुई है, जिसका प्रभाव प्रत्येक क्षेत्र जिसमें आम जन भी सम्मिलित है, पर पड़ रहा है। इस कोविड–19 संक्रमण काल में देश भर में व्यक्तिगत उपस्थिति से सुनवाई की व्यवस्था को भी पहल करने में कठिनाई आ रही है और सोशियल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) के मानकों को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित संख्या से अधिक व्यक्तियों को एकत्र होना भी संभव नहीं है। इसे दृष्टिगत रखते हुए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों में वर्चुअल हियरिंग (Virtual hearing) से प्रकरणों की सुनवाई की जा रही है और सीमित तौर पर फिजिकल हियरिंग (Physical hearing) की अनुमति दी गई है।

विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार ने ऑनलाईन डिस्प्यूट रिजोलेशन (Online Dispute Resolution) को प्रोत्साहित करने के आशय से अधिसूचना जारी करते हुए ओ.डी.आर. प्लेटफॉर्म का उपयोग करने का सुझाव दिया है, जिससे समय व धन की बचत होती है और इससे लम्बित प्रकरणों का निस्तारण सुगमता से हो सकता है।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कोविड–19 के संक्रमण के खतरे के कारण अप्रेल, जुलाई व सितम्बर, 2020 में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को निरस्त किया गया है। विधिक सेवा प्राधिकरण में तकनीक को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से राजस्थान में माननीय कार्यकारी

अध्यक्ष महोदय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 22 अगस्त, 2020 को विभिन्न प्रकार के ऐसे प्रकरण जिन्हें ऑन लाईन या वर्चुअल (Virtual) या डिजिटल मोड (Digital Mode) से निस्तारण संभव है, उनके लिए राज्य भर में ऑन लाईन लोक अदालत का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है।

यह ऑन लाईन लोक अदालत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तकनीकी माध्यम से सेवा प्रदाता (Service Provider) SAMA प्लेटफॉर्म जो कि ऑन लाईन डिस्प्यूट रेजोलेशन (ODR) प्लेटफॉर्म है, कि सहायता से सम्पूर्ण राजस्थान में आयोजित की जाएगी। इस लोक अदालत की अनुमति राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में दी गई है और तकनीकी सेवा प्रदाता SAMA (ODR) द्वारा सभी सेवाएं सुरक्षित एवं निःशुल्क (प्रो–बोनो) के आधार पर प्रदान की जा रही है।

इस ऑन लाईन लोक अदालत में प्रकरण का रेफरेन्स करते समय पक्षकारों व अधिवक्तागण के मोबाईल या व्हॉट्सएप नम्बर अथवा ई–मेल की आवश्यकता रहेगी। प्रि–काउंसलिंग भी ऑन लाईन होगी जिसमें सेवा निवृत्त न्यायिक अधिकारी, मीडियेटर्स एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा करवाई जावेगी। इस ऑन लाईन लोक अदालत का सुचारू रूप से आयोजन करने के लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है, जिसमें न्यायिक अधिकारी, सेवा निवृत्त न्यायिक अधिकारी, अधिवक्तागण, स्टॉफ सहित सभी स्टेक हॉल्डर्स का प्रशिक्षण एवं आमुखीकरण (Sensitization) सम्मिलित है।

जो भी अधिवक्तागण अथवा पक्षकार अपना प्रकरण इस ऑन लाईन लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण कराना चाहते हैं वे अपना मोबाईल नम्बर/व्हॉट्सएप नम्बर/ई–मेल आई डी मय प्रकरण के विवरण के संबंधित न्यायालय या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सुझाव को उपलब्ध कराकर प्रकरण को नियत कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। किसी भी असुविधा के लिए या किसी भी सुझाव के लिए राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के ई–मेल **rj-slsa@nic.in**, **rslsajp@gmail.com**, splsec.rslsa@gmail.com पर सम्पर्क किया जा सकता है। ऑन लाईन लोक

अदालत के बारे में विभिन्न स्टेज व प्रक्रियात्मक विवरण, जिसे जानना आवश्यक है, उसका उल्लेख निम्न प्रकार है–

1. कौनसे प्रकरण चिन्हित/रैफर किये जा सकते हैं ?

अ. प्रि–लिटिगेशन–

धन वसूली के प्रकरण

ब. न्यायालय में लम्बित प्रकरण –

1. **धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम (NI Act) के प्रकरण**
2. **धन वसूली के प्रकरण**
3. **एम.ए.सी.टी. के प्रकरण**
4. **वैवाहिक एवं भरण–पोषण के विवाद, घरेलू हिंसा के विवाद (तलाक को छोड़कर),**
5. **श्रम एवं नियोजन संबंधी विवादों के प्रकरण**
6. **अन्य सिविल प्रकरण जिनमें ओ.डी.आर. से निस्तारण संभव है।**

रजिस्ट्रेशन/इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग–

अ. प्रि–लिटिगेशन व लम्बित प्रकरणों की सूची प्राप्त होते ही अविलम्ब सम्बन्धित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा रालसा को rslsajp@gmail.com, rj-slsa@nic.in पर तथा SAMA (ODR) को vikram@sama.live एवं info@sama.live पर संलग्न प्रफोर्मा (A एवं B) में प्रेषित की जायेगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नियमित रूप से लगातार सेवा प्रदाता की Website को विजिट करते रहेंगे।

ब. ODR प्लेटफार्म पर रजिस्ट्रेशन/इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग प्रारंभ हो चुकी है।

स. संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अपने जिले के प्रकरणों को सेवा प्रदाता के प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन/इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग करने के लिए तत्काल ई–मेल कर सकते हैं।

द. जिस पक्षकार द्वारा अपना प्रकरण ऑनलाईन लोक अदालत में लगवाया जायेगा, उसे ही दूसरे पक्षकार (विपक्षी) व उसके अधिवक्ता की Email ID, Mobile/Whatsapp Number उपलब्ध कराना होगा। इस संबंध में संबंधित न्यायलय भी अधिवक्तागण के

Mobile Number उपलब्ध कराएंगे और इसके लिए स्थानीय बार ऐसोसिएशन से सहायता व सहयोग प्राप्त किया जावे।

क. किसी प्रकरण के अधिवक्ता ने यदि आवेदन किया है और विपक्षी पक्षकार के अधिवक्ता का मोबाईल नम्बर उपलब्ध कराया है तो संबंधित अधिवक्ता से उसके पक्षकार का मोबाईल नम्बर प्राप्त कर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को उपलब्ध कराया जाएगा।

ख. ऑन लाईन लोक अदालत के लिए यह आवश्यक है कि अधिवक्तागण व पक्षकारों के मोबाईल नम्बर अथवा ई–मेल आई डी हो, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म से सम्पर्क किया जा सके। इसी प्रकार ई साईन (E-Sign) करने के लिए यह आवश्यक है कि संबंधित अधिवक्ता या पक्षकार अथवा दोनों का ई–मेल आई डी उपलब्ध कराया जावे।

ग. लम्बित मामलों में निम्न प्रकार के केसों को चिन्हित किया जा सकता हैः–

1) ऐसा केस जिसके बारे में दोनों पक्षकारों/अधिवक्तागण ने आवेदन किया हो कि केस में राजीनामा की संभावना है।

2) ऐसे केस जिनके बारे में बैंक/बीमा कम्पनी या अन्य पक्ष आवेदन करे व विपक्षी पक्षकार का मोबाईल नम्बर या व्हॉट्स एप नम्बर या Email ID उपलब्ध कराए।

3) ऐसे केस जिसके बारे में प्राइवेट पक्षकार आवेदन करे और विपक्षी पक्षकार बीमा कम्पनी/वित्तीय संस्थान/बैंक या अन्य सुस्थापित संस्थान या व्यक्ति हो जिसका ई–मेल अथवा मोबाईल पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हो।

4) ऐसे प्रकरण जिसके बारे में न्यायालय का यह मत हो की पक्षकारों में राजीनामें की संभावना है और पक्षकारों के अधिवक्ताओं के मोबाईल नम्बर या ई मेल आई डी उपलब्ध हो तथा उनके अधिवक्तागण से पक्षकारों के मोबाईल नम्बर या ई मेल आई डी प्राप्त किए जा सके।

घ. प्रि–लिटिगेशन मामलों के सम्बन्ध में बैंकों से प्रि–लिटिगेशन के प्रार्थना–पत्र Hard Copy व Soft में लिये जायेंगे। बैंक को सभी प्रार्थना–पत्रों की सूची प्रफोर्मा-B में Soft व Hard Copy में उपलब्ध करानी होगी। जैसे ही बैंको से प्रि–लिटिगेशन प्रार्थना–पत्रों की सूची प्रफोर्मा-B में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्राप्त होगी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उस सूची को अविलम्ब रालसा तथा सेवा प्रदाता के उपरोक्त Email ID पर भेजना होगा।

च. रजिस्ट्रेशन में किसी भी प्रकार की कठिनाई आने पर अविलम्ब Case Manager की सहायता ली जावे। इन केस मेनेजर की सूचना प्रत्येक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पृथक से प्रेषित की जा चुकी है।

3. सेवा प्रदाता द्वारा पक्षकार को नोटिस जारी करना–

1. ऑनलाईन लोक अदालत में चिन्हित किए गये प्रकरणों में पक्षकारों को E-mail, Whatsapp या Mobile Number पर एस.एम.एस. के जरिए सेवा प्रदाता द्वारा नोटिस जारी किए जाएंगे जो प्रारंभ किए जा चुके है।
2. सेवा प्रदाता की मदद तामील हेतु ली जाएगी, लेकिन जो नोटिस प्रेषित किया जाएगा वह नोटिस जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा तालुका विधिक सेवा समिति के नाम से जारी होगा, परन्तु उस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
3. पक्षकारों को नोटिस जारी करने के साथ–साथ नोटिस की एक प्रति उनके अधिवक्तागण को भी भेजी जाएगी, ताकि उन्हें भी सूचना की दृष्टि से एक प्रति उपलब्ध हो।
4. नोटिस समय पर जारी करना प्राथमिकता है ऐसी स्थिति में शीघ्र अति शीघ्र प्रकरण का चिन्हिकरण व रैफरेन्स होना चाहिए, ताकि प्रक्रियात्मक रूप से विलम्ब ना हो।

4. <u>सहमति–</u>

ओ.डी.आर प्लेटफॉर्म पर प्रकरण के निस्तारण के लिए अधिवक्तागण व पक्षकारों की भागीदारी आवश्यक है और अधिवक्तागण सदैव से लोक अदालत के प्रकरणों के निस्तारण में अग्रणी भूमिका अदा करते आए हैं अतः अधिवक्तागण की सहमति/पक्षकारों की सहमति प्रकरण के निस्तारण के लिए आवश्यक है।

प्रकरण में नोटिस जारी करने के पश्चात् पक्षकार या उसके अधिवक्ता की सहमति प्राप्त होते ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सेवा प्रदाता के पोर्टल पर प्रकरण से संबंधित न्यूनतम दस्तावेज जो विवाद की जानकारी प्राप्त करने में सहायक हो, वे अपलोड करेंगे।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपने स्टॉफ की मदद से सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराई गई लॉगिन आई डी से सेवा प्रदाता के प्लेटफॉर्म पर प्रतिदिन विवरण एकत्र करेंगे, जिससे उन्हें यह पता चल सके कि कितने प्रकरणों में नोटिस जारी हुए हैं और कितने प्रकरणों में सहमति प्राप्त हो चुकी है। सहमति प्राप्त होते ही प्रकरण को शीघ्र अति शीघ्र प्रि–काउंसलिंग हेतु नियत किया जाएगा।

5. <u>ऑनलाईन सुलह वार्ता (प्री–काउंसलिंग)–</u>

लोक अदालत में सफलता से पूर्व पक्षकारों व उनके अधिवक्तागण के मध्य आपस में सुलह वार्ता (Pre-Counciling/Negotiation) होना आवश्यक है और राजस्थान में विगत वर्षों में प्रि–काउंसलिंग के जरिए राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रकरणों के निस्तारण की गति प्रि–काउंसलिंग के कारण बढ़ी है ऐसी स्थिति में ऑन लाईन लोक अदालत में सफलता के लिए पक्षकारों व अधिवक्तागण के मध्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वीडियो कॉल या मोबाईल के जरिए आपसी बात–चीत का प्रोत्साहन आवश्यक है।

1. दिनांक 04.08.2020 से प्रि–काउंसलिंग प्रारम्भ होगी अतः संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक दिन की कॉज लिस्ट संलग्न प्रारूप में बनायी जायेगी। कॉज लिस्ट की प्रति जिला

विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रि–काउंसलिंग से एक दिन पहले काउंसलर को, Case Manager को, सेवा प्रदाता पोर्टल पर व रालसा को जरिए E-mail एवं Whatsapp से भेजी जायेगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं Case Manager द्वारा दोनों पक्षों व उनके अधिवक्तागण तथा काउंसलर को प्रि–काउंसलिंग की दिनांक व समय के बारे में सूचना की जायेगी। प्रि–काउंसलिंग दिनांक 04 अगस्त से 21 अगस्त, 2020 तक चलना संभावित है अतः प्रत्येक काउंसलर को एक दिन में प्रि–काउंसलिंग के लिए 20 से 25 प्रकरण आवंटित किए जा सकते हैं।

2. प्रि–काउंसलिंग के लिए पूर्व से चयनित व प्रशिक्षित सेवा निवृत्त न्यायिक अधिकारी या मीडिएटर अथवा सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कराई जा सकती है।
3. प्रि–काउंसलिंग के दौरान काउंसलर, अधिवक्तागण एवं पक्षकार आदि डेस्कटॉप कम्प्यूटर विथ वेबकैम/ लैपटॉप/टेबलेट/ स्मार्टफोन का उपयोग कर प्रि–काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं और इसके लिए उन्हें किसी न्यायालय परिसर या प्राधिकरण के कार्यालय में आने की आवश्यकता नहीं है। वे अपने स्वयं के निवास या स्वयं के कार्यालय से भी भाग ले सकते हैं।
4. ऑन लाईन सुलह वार्ता सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध प्लेटफॉर्म पर Video Conferencing/ Phone Conference Call/ SAMA Chat के जरिये की जायेगी। इस कार्य में काउंसलर की पूरी सहायता Case Manager द्वारा की जायेगी।
5. प्रि–काउंसलिंग के संबंध में काउंसलर को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, Case Manager व अन्य सहायक मोबाईल नम्बर उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि प्रोसेस में किसी भी बाधा के लिए तत्काल सम्पर्क किया जा सके।
6. काउंसलर की सहायता के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा टाईपिस्ट या स्टेनोग्राफर ऑन कॉल उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि पक्षकारों के बीच समझौता होने की स्थिति में काउंसलर द्वारा जरिए

वीडियो कॉल या मोबाईल कॉल या टैक्स्ट (Text) /व्हॉट्सएप के जरिए राजीनामा टाईप करवाने हेतु निर्देश दिए जा सके और राजीनामा तद्नुसार टाईप हो सके।

6. **<u>समझौता/राजीनामा–</u>**

1. प्रि–काउंसलिंग के दौरान जब पक्षकारों के मध्य सहमति हो जाए तो काउंसलर उसे रफ नोट पर तैयार करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराए गए टाईपिस्ट या स्टेनोग्राफर के जरिए टाईप कराना सुनिश्चित करेगा और टाईपशुदा समझौता प्राप्त करके दोनों पक्षों व उनके अधिवक्तागण को जरिए व्हॉट्सएप प्रेषित किया जाएगा।

2. जो समझौता प्रपत्र पक्षकारान व अधिवक्तागण को प्रेषित किया गया है उसमें किसी संशोधन की आवश्यकता हो तो वह आपसी सहमति से तत्काल किया जावेगा और संशोधन करने के पश्चात अंतिम ड्राफ्ट पर मौखिक सहमति प्राप्त करते हुए इसे ई–साईन या ओ.टी. पी. वेरिफिकेशन के लिए अग्रेषित किया जाएगा।

3. समझौता या राजीनामें का ड्राफ्ट पक्षकारान के अधिवक्तागण भी तैयार कर सकते है, परन्तु इस ड्राफ्ट में उन सभी बिन्दुओं का उल्लेख किया जावेगा जो काउंसलर के समक्ष पक्षकारान के मध्य तय हुए है। यह ड्राफ्ट भी सहमति के पश्चात् ई साईन या ओ टी पी वेरिफिकेशन के लिए काउंसलर द्वारा अग्रेषित किया जाएगा।

4. जब पक्षकारान के मध्य राजीनामे के ड्राफ्ट पर सहमति हो जाएगी तो यदि ई मेल उपलब्ध है तो ई–साईन होंगे और यदि ई–मेल उपलब्ध नहीं है तो पक्षकारों के मोबाईल नम्बर पर ओ.टी.पी. के माध्यम से ई–सत्यापन होगा।

5. जब प्रकरण का रेफरेंस किया जाएगा तो उस समय संबंधित पक्षकार के मोबाईल नम्बर जो न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराए गए है या उसके अधिवक्ता द्वारा उपलब्ध कराए है, उस मोबाईल पर सेवा प्रदाता द्वारा एक बार पासवर्ड (One Time Password (OTP)) प्रेषित

किया जाएगा। इस ओ.टी.पी. का उपयोग राजीनामें के ड्राफ्ट के सत्यापन/हस्ताक्षर की स्वीकृति के लिए किया जाएगा।

6. ऑन लाईन लोक अदालत में ई–साईन को प्राथमिकता दी गई है, परन्तु जहां ई मेल उपलब्ध नहीं है और पक्षकार सहमत है, तो उस परिस्थिति में पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर ओ.टी.पी. भेजकर डिजिटल सत्यापन करते हुए राजीनामें की स्वीकृति रिकॉर्ड किए जाने का प्रावधान किया गया है अतः वास्तविक हस्ताक्षरों की आवश्यकता नहीं है, परन्तु फिर भी यदि पक्षकार या किसी पक्ष विशेष के आग्रह पर हस्ताक्षरों की आवश्यकत महसूस हुई तो संबंधित पक्षकार के वास्तविक हस्ताक्षर भी कराने का प्रावधान स्थानीय स्तर पर किया जा सकता है।

7. प्रि–काउंसलिंग के दौरान विशेषकर अपीलों में सामान्य रूप से पक्षकार उपस्थित नहीं होते तो उस परिस्थिति में दोंनों पक्षों के अधिवक्तागण के मध्य में भी प्रि–काउंसलिंग होगी और अधिवक्तागण के ई–मेल होने पर ई–साईन कराए जाएंगे, परन्तु उनके विकल्प पर पक्षकारों की ई–स्वीकृति ओ.टी.पी. से अतिरिक्त रूप से प्राप्त की जा सकती है।

8. समझौता/राजीनामा के प्रारूप सेवा प्रदाता के पोर्टल पर टैम्पलेट के रूप में उपलब्ध कराए जाएंगे जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भी प्रेषित किए जाएंगे, परन्तु इनमें प्रत्येक प्रकरण की परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए संशोधन किया जाकर इनको उपयोग में लाया जाएगा।

9. पक्षकारों के मध्य राजीनामा होने के उपरान्त पोर्टल पर अपलोड होगा और इस पर ई–साईन (E-Sign) या ओ.टी.पी. से सत्यापन होने के पश्चात् संबंधित ऑन लाईन लोक अदालत बैंच जिसका गठन पृथक से होगा, उसके द्वारा फिजिकल प्रिंट करके उपयोग किया जाएगा।

10. लोक अदालत के दिन इस समझौता व राजीनामा जो प्रिंट किया गया है, उस पर उपस्थित अधिवक्तागण के हस्ताक्षर करके बैंच द्वारा अनुप्रमाणिकरण करके हस्ताक्षर किए जाएंगे।

7. **बैंच गठन–**

1. ऑनलाईन लोक अदालत की कॉज लिस्ट जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 21 अगस्त की सायं तक बनाकर सभी संबंधित को प्रेषित की जाएगी और सभी संबंधित पत्रावलिया संबंधित बैंचों में 21 अगस्त की सायं तक प्रेषित करना सुनिश्चित किया जाएगा।
2. बैंच का गठन करते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पर्याप्त संख्या में प्रकरण जिनमें पक्षकारों की सहमति अथवा सुलह वार्ता हो चुकी है वह राजीनामें हेतु उपलब्ध हो।
3. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ऑनलाईन लोक अदालत बैंच का निम्नानुसार गठन किया जायेगा–

   अध्यक्ष– न्यायिक अधिकारी

   सदस्य– वरिष्ठ अधिवक्ता
4. प्रि–काउंसलिंग के समय जो समझौता ड्राफ्ट/राजीनामा पर सहमति हुई थी उसका वैरिफिकेशन ई–साईन या ओ.टी.पी. से करवाया जाकर ओ.एल.ए. बैंच द्वारा प्रिंट किया जाएगा और उपलब्ध अधिवक्ता/अधिवक्तागण (यदि कोई है तो) उनके हस्ताक्षर करवाए जाएंगे। ऑन लाईन लोक अदालत के दिन अधिवक्तागण की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की अनुमति दी जा रही है, परन्तु सरकार व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी प्रोटोकॉल की पालना किया जाना सुनिश्चित किया जावे और शोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स (Social Distansing Norms) के आधार पर ही उन्हें एक के बाद एक प्रवेश देकर कार्यवाही सम्पादित की जावे।
5. प्रत्येक बैंच के लिए एक स्टेनोग्राफर, एक कम्प्यूटर जानकारी रखने वाला कनिष्ठ लिपिक व एक सहायक कर्मचारी की ड्यूटी लगाई

जाये और आवश्यक हो तो एक रीडर की भी ड्यूटी लगाई जा सकती है।

6. ऑन लाईन लोक अदालत के लिए जिस न्यायालय का चयन किया जाएगा उस न्यायालय में डेस्कटॉप मय वेबकैम/ऑल ईन वन कम्प्यूटर/लेपटॉप की उपलब्धता होना आवश्यक है। यदि उपलब्धता का अभाव है तो संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश से चर्चा करके यह उपलब्धता सुनिश्चित की जावे।
7. ऑन लाईन लोक अदालत के लिए हाई स्पीड इन्टरनेट आवश्यक है और अधिकांश जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में हाई स्पीड इंटरनेट फाईबर कनेक्टिविटि उपलब्ध है। प्रि–काउंसलिंग के लिए बैंच जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के भवन में स्थापित की जावे और हाई स्पीड इंटरनेट का उपयोग किया जावे, जिससे लेन (LAN) के जरिए अन्य बैंच के साथ शेयर (Share) किया जा सकता है, परन्तु अन्य बैंचों के लिए जिला एवं सेशन न्यायाधीश से चर्चा करके हाई स्पीड ब्रोडबैंड की उपलब्धता सुनिश्चित की जावे। इसके लिए फाईबर/ब्रोडबैंड या यू.एस.बी. से डेटा कार्ड का उपयोग किया जा सकता है।
8. तकनीकी तौर पर उक्त तकनीकी व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए जिला न्यायालय में उपलब्ध सिस्टम ऑफिसर व सिस्टम असिस्टेंट की सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं।
9. बैंच का गठन करते समय प्रकरणों की संख्या का एक न्यूनतम मानक तय किया जावे और यदि 25 से 30 प्रकरण किसी आउटलाईन न्यायालय में निस्तारित होने की संभावना हो तो भी वहां बैंच का गठन किया जा सकता है और उस स्थान पर न्यायिक अधिकारी को उपलब्ध कराया गया लेपटॉप उपयोग में लाया जा सकता है।

8. <u>अन्य दिशा–निर्देश</u>–

1. ऑनलाईन लोक अदालत के आयोजन में किसी भी पक्षकार पर कोई वित्तीय भार नहीं आएगा और सेवा प्रदाता SAMA द्वारा भी

किसी भी पक्षकार पर किसी भी प्रकार का वित्तीय भार नहीं डाला जाएगा।

2. यह ऑन लाईन लोक अदालत एक पायलट प्रोजेक्ट है, जिसकी सफलता के लिए सभी विभागों, निगमों, वित्तीय संस्थानों, बीमा कम्पनियों, अधिवक्तागण, पक्षकारान व अन्य सभी स्टेकहोल्डर्स के सहयोग की अपेक्षा है परन्तु, किसी भी प्रकार की पीडा या परेशानी होने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के उपलब्ध हेल्पलाईन नम्बर पर किसी भी समय में सम्पर्क किया जा सकता है या व्हॉट्सएप या ई–मेल के जरिए संदेश भेजा जा सकता है।

3. _ऑन लाईन लोक अदालत में बैंको, वित्तीय संस्थानों व अन्य कम्पनियों व संस्थानों के ऐसे प्रकरण सम्मिलित किए जाने का प्रयास किया गया है, जिनमें धन वसूली या मनी पेमेंट (Money payment) के जरिए विवाद का निस्तारण हो सकता हो, परन्तु प्रि–लिटिगेशन प्रकरणों में ऐसे प्रकरण भी सम्मिलित नहीं होंगे जिनमें विधि अनुसार डिक्री पारित नहीं हो सकती हो।

4. प्रि–लिटिगेशन के जरिए राजीनामा सत्यापित करने समय यह सुनिश्चित होगा कि विधि विरूद्ध पंचाट या आदेश पारित न हो पाए।

आज्ञा से

सदस्य सचिव
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर